ऑन लाईन नं. RCMS 2024/54

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 10/2024

1. कृष्ण लाल पुत्र श्री केशुराम निवासी वार्ड नम्बर 01, चक मनफुलसिंहवाला 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रभारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र चक मनफुलसिंहवाला 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आवासीय भूखण्ड साईज 45X50 कुल 2000 वर्गफुट गांव मनफूलसिंहवाला दिनांक 21.07.2022 को ग्राम पंचायत चक मनफूलसिहवाला तहसील व जिला श्रीगंगागनर द्वारा संकल्प संख्या 2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के पक्ष में पट्टा संख्या 3 जारी किया गया है को निरस्त करवाने हेतू।

उपस्थित :

1. श्री महेन्द्र कम्बोज अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. राजकीय अधिवक्ता श्री जसवीर सिंह मिशन गैरनिगरानीकर्ता संख्या –3

:: आदेश ::

दिनांकः 05.03.2025

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि :–

1. यह कि निगरानीकर्ता अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा गांव मनफुलसिंहवाला के निवासी है तथा निगरानीकर्ता वार्ड नम्बर 01 मनफूलसिंहवाला 18 एलएनपी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगगानगर में 45X45 वर्गफुट का भूखण्ड पिछले करीब 70 वर्षो से कब्जे में चला आ रहा है इसलिए निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है।
2. यह कि संक्षेप में तथ्य निम्नप्रकार से है, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला ने चक मनफुलसिंहवाला के आवासीय भूखण्ड साईज 40X50 कुल 2000 वर्गफुट का पट्टा राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मनफुलसिंहवाला गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.07.2022 की पालना में दिनांक 21.07.2022 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत आवंटित कर पट्टा जारी कर दिया गया है, जिसे निगरानीकर्ता इस पट्टे को निम्न आधारों पर चुनौती दी है:–

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

3. यह कि आदेश/नोटिस अधीनस्थ न्यायलाय खिलाफ कानून तथ्यों के विपरीत विधि विरूद्व बिना निगरानीकर्ता को सुने एकपक्षीय तौर पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। पट्टे की प्रमाणित प्रति सलंग्न है।

4. यह कि निगरानीकर्ता के पिता श्री केशुराम के पास वार्ड नम्बर 01 मनफूलसिंहवाला 18 एलएनपी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 45X45 वर्गफुट का भूखण्ड पिछले करीब 70 वर्षो से कब्जे में चला आ रहा है। इस भूखण्ड के पूर्व व दक्षिण दिशा में गली लगती है तथा पश्चित दिशा में हनुमान मेघवाल का मकान है। वादी के पिता ने इस भूखण्ड पर मकान बना रखा था। निगरानीकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद इस भूखण्ड पर निगरानीकर्ता लगतार बिना किसी रूकावट के अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। निगरानीकर्ता के दो बच्चे भी निगरानीकर्ता के साथ निवास करते आ रहे है। निगरानीकर्ता के इस भूखण्ड में प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय भी वर्ष 2016–17 की अवधि में बनाया गया था, विद्युत कनेक्शन भी निगरानीकर्ता के नाम से काफी अर्सा से चल रहा है तथा विलेज वाटर एण्ड सेनीटेशन संस्था ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला द्वारा स्वजल धारा के तहत दिनांक 27.05.2017 को पानी का कनेक्शन भी दिया गया, पानी का टैंक भी बना हुआ है। निगरानीकर्ता के परिवार की पुरानी वोटरलिस्ट भी इस स्थान की बनी हुई है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण लम्बी अवधि में इस अहाता पर निवास करते चले आ रहे है। विद्युत बिल, पानी कनेक्शन बिल के फोटोज मकान सलंग्न निगरानी है।

5. यह कि निगरानीकर्ता के इस भूखण्ड साईज 45X45 वर्गफुट में पशु भी बांधे गये है । चारा कुतरने की मशीन भी लगी हुई है। कमरा , रसोई , लैण्टरिंग , बाथरूम बना हुआ है, बनछटीयां रखी हुई है। निगरानीकर्ता के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादी इस भूखण्ड पर लगातार शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है।

6. यह कि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार कमजोर वर्गो को आवंटन किया जा सकता है तथा पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु मौके पर काबिज व्यक्ति को छोड़कर अन्य को विधि विरूद्व पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है जबकि इस भूखण्ड पर राजकीय पशु चिकित्सालय का कभी कब्जा नही रहा है निगरानीकर्ता अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा कमजोर वर्ग से है तथा नियम 157 व 158 दोनो में कवर होते है इसलिए किसी अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है।

7. यह कि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र को भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है केवल नियम 158 में वर्णित व्यक्ति ही इसके पात्र है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा किया गया आवंटन तथा तदानुसार जारी किया गया पट्टा विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

8. यह कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26.01.2022 को हुई है जिसमें प्रस्ताव संख्या 1 रखा गया अंकित है इस प्रस्ताव में राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र को भूखण्ड आवंटन का कहीं अंकन नहीं है केवल पट्टा जारी करने का प्रस्ताव है जबकि ग्राम पंचायत की आज्ञाओं की सूचि में दिनांक 21.01.2022 को तथाकथित परफोर्मा साईकलो स्टाईल में राजकीय पशु चिकित्सायल उपकेन्द्र मनफूलसिंहवाला दर्ज किया हुआ है तथा नीचे सरपंच के हस्ताक्षर है तथा आगे दिनांक 21.07.2022 को नियम 157 के परफोर्म में 2000 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है।

9. यह कि पट्टा देखने पर पता लगता है कि इसमें 236 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया है जबकि नीचे नक्शे में व पिछले पृष्ट पर साईज 40X50 कुल 2000 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है जबकि 236 वर्गगज के अनुसार 2124 वर्गफुट बनता है। इस प्रकार पट्टा/आवंटन गलत किया गया है।

10. यह कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला से मिलिभगत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा पशु चिकित्सालय के नाम से जारी करवा लिया है अब इस भूखण्ड पर पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की कोशिश की जा रही है तथा निगरानीकर्ता व उसके परिवार को बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल करने की कोशिश की जा रही है जिसे कानूनन रोका जाना आवश्यक है।

11. यह कि निगरानीकर्ता अपने रिहायशी भूखण्ड होने के कारण उक्त भूखण्ड पर 70 वर्षो से काबिज होने व उक्त भूखण्ड की सुरक्षा करने का हक व अधिकार निगरानीकर्ता का है, जबकि गैरनिगरानीकर्ता जबरदस्ती धक्काशाही व जोर जबरदस्ती से उक्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहते है तथा पशु चिकित्सालय बनाना चाहते है तथा निगरानीकर्ता को बेदखल करना चाहते है।

12. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 23.02.2024 को निगरानीकर्ता को नोटिस दिया कि वह जिस स्थान पर अपने पशुओं के रखरखाव हेतु अवैध कब्जा कर रखा है जिस स्थन पर राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र की बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, इसलिए इस जगह को आगामी दो दिन में खाली करने की कृपा करें जिस पर निगरानीकर्ता को पट्टा जारी होने का पता चला तो निगरानकर्ता ने ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल मांगी तो उनके द्वारा नकल देने से मना कर दिया जिसके बाद निगरानकर्ता ने दिनांक 04.03.2024 को सूचना के अधिकार के तहत 10/–रूपये का पोस्टल आर्डर लगाकर पट्टे की नकल मांगी जो ग्राम पंचायत द्वारा काफी देरी के बाद नकल दी गई है जो मिलते ही निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

13. यह कि गैरनिगरानीकर्तागण उक्त भूखण्ड पर जबरदस्ती काबिज होकर पशु चिकित्सालय बनाने पर उतारू है जबकि उसे निगरानीकर्ता के कब्जाशुदा भूखण्ड पर गैरनिगरानीकर्तागण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्तागण ऐसा करने में कामयाब हो गया तो निगरानीकर्ता को नापूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, विवाद बढेंगें, गैरनिगरानीकर्ता का कृत्य गैरकानूनी है जिसे रोका जाना इंसाफन आवश्यक है जिसके लिए निगरानी के निस्तारण तक स्थगन आदेश के लिए अलग से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

14. यह कि निगरानीकर्ता करीब 70 साल से काबिज चले आ रहे है इसलिए निगरानीकर्ता के कब्जे की भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किया जाना चाहिये ना की बेदखल किया जाना चाहिये, परन्तु गैरनिगरानीकर्ता बेदखल करने पर उतारू है।
15. यह कि नियम 157 राज0 पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण किया जा सकता है तथा नियम 158 राज0 पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार कमजोर वर्गो का आवंटन किया जा सकता है चूंकि निगरानीकर्तागण अनुसूचित जाति के सदस्य है इसलिए निगरानीकर्तागण को फायदा दिया जाना आवश्यक है।
16. यह कि निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता के पक्ष में जारी किये गये पट्टे के विरूद्व पेश की जा रही है। पंचायत समिति व जिला परषिद में ग्राम पंचायत का बोलबाला है ओर पंचायत समिति व जिला परिषद से निगरानीकर्ता को इन्साफ की कोई उम्मीद नहीं है ऐसी सूरत में निगरानी माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।
17. यह कि निगरानी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है। पंचायत अधिनियम में मियाद निर्धारित नहीं है इसलिए निगरानी अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर पेश की जा रही है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला द्वारा दिनांक 21.07.2022 को संकल्प संख्या 02 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 के पक्ष में पट्टा संख्या 3 जारी किया गया है को निरस्त किया जावें।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि:–

1. यह कि निगरानीकर्ता अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा गांव मनफुलसिंहवाला के निवासी है तथा निगरानीकर्ता वार्ड नम्बर 01 मनफूलसिंहवाला 18 एलएनपी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगगानगर में 45X45 वर्गफुट का भूखण्ड पिछले करीब 70 वर्षो से कब्जे में चला आ रहा है।
2. यह कि संक्षेप में तथ्य निम्नप्रकार से है, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला ने चक मनफुलसिंहवाला के आवासीय भूखण्ड साईज 40X50 कुल 2000 वर्गफुट का पट्टा राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मनफुलसिंहवाला गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.07.2022 की पालना में दिनांक 21.07.2022 द्वारा राजस्थान पंचायती राज

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नियम 1996 के नियम 158 के तहत आवंटित कर पट्टा जारी कर दिया गया है, जिसे निगरानीकर्ता ने चुनौती दी है।

3. यह कि आदेश/नोटिस अधीनस्थ न्यायलाय खिलाफ कानून तथ्यों के विपरीत विधि विरूद्व बिना निगरानीकर्ता को सुने एकपक्षीय तौर पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है।

4. निगरानीकर्ता के पिता श्री केशुराम के पास वार्ड नम्बर 01 मनफूलसिंहवाला 18 एलएनपी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 45X45 वर्गफुट का भूखण्ड पिछले करीब 70 वर्षो से कब्जे में चला आ रहा है इस भूखण्ड के पूर्व व दक्षिण दिशा में गली लगती है तथा पश्चित दिशा में हनुमान मेघवाल का मकान है। वादी के पिता ने इस भूखण्ड पर मकान बना रखा था। निगरानीकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद इस भूखण्ड पर निगरानीकर्ता लगातार बिना किसी रूकावट के अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। निगरानीकर्ता के दो बच्चे भी निगरानीकर्ता के साथ निवास करते आ रहे है। निगरानीकर्ता के इस भूखण्ड में प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय भी वर्ष 2016–17 की अवधि में बनाया गया था विद्युत कनेक्शन भी निगरानीकर्ता के नाम से काफी अर्सा से चल रहा है तथा विलेज वाटर एण्ड सेनीटेशन संस्था ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला द्वारा स्वजल धारा के तहत दिनांक 27.05.2017 को पानी का कनेक्शन भी दिया गया, पानी का टेंक भी बना हुआ है। निगरानीकर्ता के परिवार की पुरानी वोटरलिस्ट भी इस स्थान की बनी हुई है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण लम्बी अवधि में इस अहाता पर निवास करते चले आ रहे है। विद्युत बिल, पानी कनेक्शन बिल के फोटोज मकान सलंग्न निगरानी है।

5. यह कि निगरानीकर्ता के इस भूखण्ड साईज 45X45 वर्गफुट में पशु भी बांधे गये है । चारा कुतरने की मशीन भी लगी हुई है। कमरा , रसोई , लैण्टरिंग , बाथरूम बना हुआ है, बनछटीयां रखी हुई है। निगरानीकर्ता के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादी इस भूखण्ड पर लगातार शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है।

6. यह कि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार कमजोर वर्गो को आवंटन किया जा सकता है तथा पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु मौके पर काबिज व्यक्ति को छोड़कर अन्य को विधि विरूद्व पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है जबकि इस भूखण्ड पर राजकीय पशु चिकित्सालय का कभी कब्जा नही रहा है निगरानीकर्ता अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा कमजोर वर्ग से है तथा नियम 157 व 158 दोनो में कवर होते है इसलिए किसी अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है।

7. यह कि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र को भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है केवल नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन किया जा सकता है जिसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों , पिछडे वर्गो के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

सदस्यों बैगरा व्यक्ति ही इसके पात्र है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा किया गया आवंटन तथा तदानुसार जारी किया गया पट्टा विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26.01.2022 को हुई है जिसमें प्रस्ताव संख्या 1 रखा गया अंकित है इस प्रस्ताव में राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र को भूखण्ड आवंटन का कहीं अंकन नहीं है केवल पट्टा जारी करने का प्रस्ताव है जबकि ग्राम पंचायत की आज्ञाओं की सूचि में दिनांक 21.01.2022 को तथाकथित परफोर्मा साईकलो स्टाईल में राजकीय पशु चिकित्सायल उपकेन्द्र मनफूलसिंहवाला दर्ज किया हुआ है तथा नीचे सरपंच के हस्ताक्षर है तथा आगे दिनांक 21.07.2022 को नियम 157 के परफोर्म में 2000 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है।

9. यह कि पट्टा देखने पर पता लगता है कि इसमें 236 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया है जबकि नीचे नक्शे में व पिछले पृष्ट पर साईज 40x50 कुल 2000 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है जबकि 236 वर्गगज के अनुसार 2124 वर्गफुट बनता है। इस प्रकार पट्टा/आवंटन गलत किया गया है।

10. यह कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला से मिलिभगत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा पशु चिकित्सालय के नाम से जारी करवा लिया है अब इस भूखण्ड पर पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की कोशिश की जा रही है तथा निगरानीकर्ता व उसके परिवार को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करने की कोशिश की जा रही है जिसे कानूनन रोका जाना आवश्यक है।

11. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 23.02.2024 को निगरानीकर्ता को नोटिस दिया कि वह जिस स्थान पर अपने पशुओं के रखरखाव हेतु अवैध कब्जा कर रखा है जिस स्थान पर राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र की बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, इसलिए इस जगह को आगामी दो दिन में खाली करने की कृपा करे जिस पर निगरानीकर्ता को पट्टा जारी होने का पता चला तो निगरानकर्ता ने ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल मांगी तो उनके द्वारा देने से मना कर दिया जिसके बाद निगरानकर्ता ने दिनांक 04.03.2024 को सूचना के अधिकार के तहत 10/-रूपये का पोस्टल आर्डर लगाकर पट्टे की नकल मांगी जो ग्राम पंचायत द्वारा काफी देरी के बाद नकल दी गई है जो मिलते ही निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। इस नोटिस से निगरानीकर्ता का कब्जा साबित होता है।

12. यह कि निगरानीकर्ता करीब 70 साल से काबिज चले आ रहे है इसलिए निगरानीकर्ता के कब्जे की भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किया जाना चाहिये ना की बेदखल किया जाना चाहिये, परन्तु गैरनिगरानीकर्ता बेदखल करने पर उतारू है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

13. यह कि नियम 157 राज0 पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण किया जा सकता है तथा नियम 158 राज0 पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार कमजोर वर्गो का आवंटन किया जा सकता है चूंकि निगरानीकर्तागण अनुसूचित जाति के सदस्य है इसलिए निगरानीकर्तागण को फायदा दिया जाना आवश्यक है।

अतः लिखित बहस प्रस्तत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला द्वारा दिनांक 21.07.2022 को संकल्प संख्या 2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के पक्ष में पट्टा संख्या 3 जारी किया गया है को निरस्त किया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या –3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला ने चक मनफुलसिंहवाला के आवासीय भूखण्ड साईज 40X50 कुल 2000 वर्गफुट का पट्टा राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मनफुलसिंहवाला गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.07.2022 की पालना में दिनांक 21.07.2022 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम की पालना करते हुए जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा खाली पड़ी भूमि पर अनाधिकृत रूप से लकडीयां डाली हुई थी जिसे उठवाने के लिए प्रभारी अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय मनफूलसिंहवाला द्वारा जरिये नोटिस सूचित किया गया था ताकि अनाधिकृत विवाद पैदा ना हो। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी बिना आधार एवं बलहीन होने के कारण निरस्त फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि :–

निगरानीधीन पट्टा संख्या 03 बुक नम्बर 156 जो कि संकल्प संख्या 02 की पालना में दिनांक 21.07.2022 को राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मनफूलसिहवाला के नाम से 40X50 कुल 2000 वर्गफुट का जारी किया गया है जबकि निगरानीकर्ता अपने कब्जा में अंकित भूमि का साईज जो बताया गया है वह 45X45 होना अंकित कर रहा है जिससे यह प्रमाणित होता है कि राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मनफूलसिहवाला के नाम जारी पट्टा में अंकित भूमि एवं निगरानीकर्ता के कब्जे में अंकित भूमि एक नहीं है, साथ ही निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि निगरानीकर्ता के इस भूखण्ड में प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय भी वर्ष 2016–17 की अवधि में बनाया गया था विद्युत कनेक्शन भी निगरानीकर्ता के नाम से काफी अर्सा से चल रहा है तथा विलेज वाटर एण्ड सेनीटेशन संस्था ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला द्वारा स्वजल धारा के तहत दिनांक 27.05.2017 को पानी का कनेक्शन भी दिया गया, पानी का टेंक भी बना हुआ है। परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रतियों के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यही प्रतीत होता है कि उक्त स्थान पर कभी किसी का कोई निवास वर्तमान में नही है, ना ही कभी कोई बिजली पानी कनैक्शन कभी चालू रहा हो। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विद्युत बिल, प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय वर्ष 2016–17, तथा विलेज वाटर एण्ड सेनीटेशन संस्था ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला द्वारा स्वजल धारा के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2-024/54

तहत दिनांक 27.05.2017 को पानी का कनेक्शन ,पानी का टैंक आदि होना बताया है वह किसी अन्य स्थान का होना प्रतीत होता है। सरपंच ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला द्वारा निगरानीधीन पट्टा संख्या 03 बुक नम्बर 156 जो कि संकल्प संख्या 02 की पालना में दिनांक 21.07.2022 को राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मनफूलसिहवाला के नाम से 40X50 कुल 2000 वर्गफुट जो जारी किया गया है वह पंचायत राज नियमों की पालना में विधिसम्मत्त जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उवित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर